न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 14/2018/75 (00014/2018/75)

1. भागचन्द पुत्र नाहरा, जाति रावत, निवासी ग्राम बड़लिया, तहसील व जिला अजमेर ।
2. श्रीमती गेनी पुत्री नाहरा,
3. श्रीमती शान्ति पुत्री नाहरा,
4. श्रीमती पांची पत्नि स्व0 कम्मा,
5. उगमा पुत्र कम्मा,
6. श्रीमती विमला पुत्री कम्मा,
7. श्रीमती नेता पुत्री कम्मा,
8. श्रीमती गोटी पुत्री कम्मा,
9. राजू पुत्र मोहन,
10. माया पुत्री मोहन,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बड़लिया, तहसील व जिला अजमेर अपीलांट संख्या 2 लगायत 10 जरिये मुख्तयार आम भागचन्द पुत्र नाहरा जाति रावत, निवासी ग्राम बड़लिया, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर आदेश क्रमांक उखअ./8 दिनांक 21.2.1995.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 11.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश क्रमांक उखअ./8 दिनांक 21.2.1995 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. अपीलांटस के पूर्वज नाहरा पुत्र उरजा के कब्जे काश्त की आराजियात वर्किंग खसरा नंबर 190 मिन रकबा 7 बिस्वा जिसके आधारभूत खसरा नंबर 739/5781 रकबा 0.06 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1290 रकबा 4 बिस्वा आधारभूत खसरा नंबर 564/5830 रकबा 0.03 है0, वर्किंग खसरा नंबर 2403 मिन रकबा 3 बिस्वा आधारभूत खसरा नंबर 4862 रकबा 0.03 है0 एवं वर्किंग खसरा नंबर 2419 मिन रकबा 12 बिस्वा जिसके आधारभूत

खसरा नंबर 4849/6038 रकबा 0.10 है0 ग्राम बड़लिया तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है । उपरोक्त आराजियात पर अपीलांटस अपने पूर्वजों के समय से आज दिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलांटस को विधिक प्रभाव से वादग्रस्त आरायिजात बाबत् खातेदारी/काश्तकारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे इसी क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12(53)राज./ग्रुप–1/71 पार्ट द्वितीय द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 21.2.1995 को वादग्रस्त आराजियात अपीलांटस के पूर्वज नाहरा पुत्र उरजा को अलोटमेंट किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तथा उक्त आदेश की पालना में अलोटमेंट कमेटी द्वारा संपूर्ण कार्यवाही कर संबंधित पटवार हल्का से कब्जा संबंधी रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांटस के पूर्वज के नाम उक्त अलोटमेंट/नियमन किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया किन्तु अलोटमेंट/नियमन आदेश दिनांक 21.2.1995 की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अधिकार अभिलेख में अपीलांटस के नाम आज दिनांक तक विवादित आराजियात का अंकन नहीं किये जाने के कारण यह अपील अपीलांटस द्वारा वास्ते विवादित आराजियात का वर्तमान अधिकार अभिलेख में बतौर खातेदार/काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत की गई है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस के पूर्वज नाहरा पुत्र उरजा का वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राज्य सरकार के आदेश द्वारा ग्राम बड़लिया में दिनांक 26.12.1994 को राजस्व शिविर आयोजित कर जिन व्यक्तियों का भू–संशोधन जमाबंदी में व्यक्ति विशेष के नाम खातेदारी में अंकित था उन्हें वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक अंकित किया गया था जिनका परीक्षण उपरांत उक्त परिपत्र के माध्यम से नियमन योग्य पाये जाने के कारण नियमन किया जाना था। राजस्व एजेन्सी द्वारा संपूर्ण जांच पड़ताल किये जाने के उपरांत अपीलांटस के पूर्वज के नाम विवादित आराजियात का नियमन/अलोटमेंट किये जाने का आदेश दिनांक 21.2.1995 को प्रदान किया गया था । इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त अलोटमेंट/नियमन आदेश की पालना में अपीलांटस के नाम अधिकार अभिलेख में आज दिनांक तक अंकन नहीं किया गया है तथा उक्त विवादित आराजियात का अपीलांटस के पक्ष में वर्तमान जमाबंदी में बतौर खातेदार काश्तकार का अंकन किये जाना आवश्यक है । राज्य सरकार के द्वारा आदेश क्रमांक प.12(53)राज./ग्रुप–1/71 पार्ट द्वितीय के द्वारा अपीलांटस के नाम विवादित आराजियात का अलोटमेंट/नियमन किया गया था जिसकी पालना राजस्व एजेन्सी द्वारा जमाबंदी में किया जाना था किन्तु राजस्व एजेन्सी द्वारा लापरवाही कारित कर उक्त आदेश की पालना नहीं की गई तथा उक्त आराजियात सरकारी/सिवायचक होने के कारण जरिये नामांतकरण संख्या 69 दिनांक 21.10.2013 को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज हो गई जबकि वास्तव में विवादित आराजियात पर आज दिवस तक कब्जा काश्त अपीलांटस का चला आ रहा है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 21. 2.1995 को किया गया अलोटमेंट/नियमन आदेश आज दिनांक तक किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तथा उक्त अलोटमेंट आदेश आज दिनांक तक अपीलांटस के पक्ष में यथावत् है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर ग्राम बड़लिया तहसील

व जिला अजमेर स्थित विवादित आराजियात के वर्किंग खसरा नंबर 190 मिन रकबा 7 बिस्वा जिसके आधारभूत खसरा नंबर 739/5781 रकबा 0.06 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1290 रकबा 4 बिस्वा आधारभूत खसरा नंबर 564/5839 रकबा 0.03 है0, वर्किंग खसरा नंबर 2403 मिन रकबा 3 बिस्वा आधारभूत खसरा नंबर 4862 रकबा 0.03 है0 एवं वर्किंग खसरा नंबर 2419 मिन रकबा 12 बिस्वा जिसके आधारभूत खसरा नंबर 4849/6038 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.22 है0 का उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 21.2.1995 को अपीलांटस के पक्ष में किये गये अलोटमेंट/नियमन आदेश के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में बतौर खातेदार/काश्तकार अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस के पूर्वज नाहरा पुत्र उरजा राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में अपीलांटस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । राजस्व कर्मचारियों द्वारा संपूर्ण विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 12.2.1995 को अपीलांटस के पूर्वज नाहरा को विधिवत् आवंटन किया गया है किन्तु उक्त आदेश की पालना राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से जमाबंदी में अंकन नहीं किया गया । फलस्वरूप उक्त आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 69 दिनांक 21.10.2013 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 के नाम हस्तातंरित कर दी गई । अभी हाल ही में रेस्पो0 संख्या 2 के कर्मचारी मौके पर आये तथा उन्होंने अपीलांटस के कब्जे काश्त में दिनांक 15.11.2017 को हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तब अपीलांटस को उक्त जानकारी हुई तब अपीलांटस अपने अधिवक्ता से मिलकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर दिनांक 17.11.2017 को उक्त आदेश दिनांक 21.2.1995 की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 27.11.2017 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की गई है तथा उक्त आदेश की पालना में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम नामांतकरण संख्या 69 दिनांक 21.10.2013 तस्दीक किया जा चुका है तथा वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम विवादित आराजियात दर्ज रिकार्ड है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है । विद्वान जिला कलक्टर के हस्तातंरण आदेश को निरस्त कराये बिना अपीलांटस किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण बताये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायाहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का कथन है कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस के पूर्वज नाहरा पुत्र उरजा का वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राज्य सरकार

के आदेश द्वारा ग्राम बड़लिया में दिनांक 26.12.1994 को राजस्व शिविर आयोजित कर जिन व्यक्तियों का भू–संशोधन जमाबंदी में व्यक्ति विशेष के नाम खातेदारी में अंकित था उन्हें वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक अंकित किया गया था जिनका परीक्षण उपरांत उक्त परिपत्र के माध्यम से नियमन योग्य पाये जाने के कारण नियमन किया जाना था। राजस्व एजेन्सी द्वारा संपूर्ण जांच पड़ताल किये जाने के उपरांत अपीलांटस के पूर्वज के नाम विवादित आराजियात का नियमन/अलोटमेंट किये जाने का आदेश दिनांक 21.2.1995 को प्रदान किया गया था । इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त अलोटमेंट/नियमन आदेश की पालना में अपीलांटस के नाम अधिकार अभिलेख में आज दिनांक तक अंकन नहीं किया गया है । अतः उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 21.2.1995 को अपीलांटस के पक्ष में किये गये अलोटमेंट/नियमन आदेश के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में बतौर खातेदार/काश्तकार अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश से रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने से उक्त आदेशों के पालना में जरिये नामांतकरण संख्या 69 दिनांक 21.10.2013 को रेस्पो0 संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है । जिला कलक्टर के हस्तातंरण आदेश को निरस्त कराये बिना अपीलांटस किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है । अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 21.2.1995 को किये गये आवंटन/नियमन के आधार पर धारा 75 एल0आर0एक्ट के तहत खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है जबकि विधिनुसार धारा 75 एल0आर0एक्ट के तहत खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है । विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । अपीलांट विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के हस्तातंरण आदेश को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पायी जाती है ।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर